वित्त मंत्रालय मांग संख्या 33 राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़		पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	17035.15	0.01	17035.16	11869.01	56.00	11925.01	11097.36	11.00	11108.36	834.85	2.43	837.28	
वसू लियां	-53.56		-53.56	-67.83		-67.83	-52.14		-52.14	-73.81		-73.81	
प्राप्तियां प्राप्तियां	-231.22		-231.22	-312.70		-312.70	-216.78		-216.78	-262.79	•••	-262.79	
	16750.37	0.01	16750.38	11488.48	56.00	11544.48	10828.44	11.00	10839.44	498.25	2.43	500.68	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय	162.27		162.27	181.06		181.06	259.66		259.66	251.98		251.98	
2. मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन	0.99		0.99	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	
3. प्रवर्तन निदेशालय	87.75		87.75	106.38		106.38	116.32		116.32	125.32		125.32	
4. स्वापक नियत्रंण	26.08		26.08	30.42		30.42	27.21		27.21	23.44		23.44	
5. विशेष जांच दल	1.15		1.15	2.33		2.33	2.09		2.09	2.26		2.26	
 मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं क्षारोध कारखाना 	0.47		0.47	0.65		0.65	0.63		0.63	0.54		0.54	
7. वास्तविक वसूलियां	-0.41		-0.41										
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	278.30		278.30	321.84	•••	321.84	406.91		406.91	404.54	•••	404.54	
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
 माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी): 	120.93		120.93	696.69		696.69							
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
स्वायत्त निकाय													
9. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	8.29		8.29	11.69		11.69	8.99		8.99	11.16		11.16	
अन्य													
10. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	7.13		7.13	7.16		7.16	5.84		5.84	5.90		5.90	
11. अन्य व्यय	28.68		28.68	32.97		32.97	36.70		36.70	37.39		37.39	
12. अफीम एवं क्षारोध कारखाना													
12.01 अफीम और क्षारोद कारखानों में कार्यशील व्यय	221.08		221.08	261.00		261.00	117.05		117.05	301.65		301.65	
12.02 घटाएं राजस्व प्राप्ति	-231.22		-231.22	-312.70		-312.70	-216.78		-216.78	-262.79		-262.79	

											(·	₹ करोड़)
	वास्तविक 2015-2016			ৰजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12.03 अफीम और क्षारोद कारखानों में पूंजीगत व्यय		0.01	0.01		6.00	6.00		6.00	6.00		2.42	2.42
जोड़- अफीम एवं क्षारोध कारखाना	-10.14	0.01	-10.13	-51.70	6.00	-45.70	-99.73	6.00	-93.73	38.86	2.42	41.28
13. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	0.23		0.23	0.35		0.35	0.25		0.25	0.35		0.35
14. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		•••	•••		50.00	50.00	***	5.00	5.00	•••	0.01	0.01
15. कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी)	0.06		0.06									
जोड़-अन्य	25.96	0.01	25.97	-11.22	56.00	44.78	-56.94	11.00	-45.94	82.50	2.43	84.93
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	34.25	0.01	34.26	0.47	56.00	56.47	-47.95	11.00	-36.95	93.66	2.43	96.09
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	1.64		1.64	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
 केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व 	16315.25		16315.25	10469.47		10469.47	10469.47		10469.47	0.02		0.02
हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति												
18. जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति										0.02		0.02
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	16316.89		16316.89	10469.48		10469.48	10469.48		10469.48	0.05		0.05
कुल जोड़	16750.37	0.01	16750.38	11488.48	56.00	11544.48	10828.44	11.00	10839.44	<i>498.25</i>	2.43	500.68
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
 आय और व्यय पर करों का संग्रहण अन्य राजकोषीय सेवाएं 	0.23		0.23	0.35		0.35	0.25			0.35		0.35
	247.51		247.51	848.97		848.97	163.25			175.13		175.13
 सचिवालय-सामान्य सेवाएं अन्य प्रशासनिक सेवाएं 	163.24	•••	163.24	182.06	•••	182.06	260.66	•••	260.66	252.98	•••	252.98
 अन्य कराताताक राजार् लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 	32.17		32.17	38.67		38.67	33.90	 F 00	33.90	30.34		30.34
जोड़-सामान्य सेवाएं	449.45	•••	442.45	4070.05	50.00	50.00	 450.06	5.00		 450 00	0.01	0.01
जाड़-सामान्य सवाए आर्थिक सेवाएं	443.15	•••	443.15	1070.05	50.00	1120.05	458.06	5.00	463.06	458.80	0.01	458.81
6. अन्य उद्योग	-9.67		-9.67	-51.05		-51.05	-99.10		-99.10	39.40		39.40
o. 7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	-5.07	0.01	0.01	-01.00	6.00	6.00	-33.10	6.00			2.42	2.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	-9.67	0.01	-9.66	-51.05	6.00	-45.05	-99.10	6.00		39.40	2.42	41.82
अन्य			-11-0									
 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 	14372.24		14372.24	8887.47		8887.47	8887.47		8887.47	0.03		0.03
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1944.65		101105	1582.01		1582.01	1582.01		4500.04	0.02		0.02
जोड़-अन्य	16316.89		16316.89	10469.48		10469.48	10469.48		10469.48	0.05		0.05

/₹ ऋगोर।

			_			_			_		(1	47(15)
	वास्तविक 2015-2016			ਕ ਤਟ 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	16750.37	0.01	16750.38	11488.48	56.00	11544.48	10828.44	11.00	10839.44	498.25	2.43	500.68

- 1. **सचिवालय:** माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रवंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 2. **मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन:** मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को अपनाने के उद्देश्य से विशेष श्रेणी के राज्यों और नए सजित राज्यों से संबंधित बिक्री कर विभागों के ढांचे को सदढ़ करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- प्रवर्तन निदेशालय: यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन
 अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।
- 4. **स्वापक नियत्रंण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और औषध दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।
- 5. विशेष जांच दल: यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।
- 6. **मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं क्षारोध कारखाना:** यह प्रावधान मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं क्षारोध कारखानों के संगठन के व्यय हेत् है।
- 9. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।
- 10. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रंशात समूह, एग्मोंनट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।
- 11. अन्य व्यय: इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टैट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

- 12. **अफीम एवं क्षारोध कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोध कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल होती है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।
- 13. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन सिमिति: यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन राष्ट्रीय सिमिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।
 - 14. **लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान नई दिल्ली में राजस्व भवन के निर्माण हेतु है।
- 16. वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षितपूर्ति: यह प्रावधान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कराधान अध्ययन के दो संस्थानों के गठन/उन्नयन हेतु है।
- 17. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति: यह प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।
- 18. **जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से होने वाली राजस्व हानियों जो जीएसटी के फेजिंग आउट से उत्पन्न हो सकती है; की प्रतिपूर्ति के लिए नई बजट लाइन खोलने हेतु सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। अपेक्षित आवंटन जीएसटी लागू होने पर पूरक मांगों के जरिए किया जाएगा।